कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी श्री जगदीश व अन्य
विपक्षी सरकार
कस्म मुकदमा धारा– 128 भू–राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्या 41/2025

कार्यवाही विवरण

सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)

–::निर्णय::–

दिनांक 23/06/25

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार जैन अधवक्ता–प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा सलूम्बर पटवार हल्का सलूम्बर तहसील सलूम्बर मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके जमाबंदी संवत् 2075–2078 अनुसार खाता संख्या 372 आराजी नम्बर 882 रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 276 कुल किता 10 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का सीमाकंन नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण एवं पडौसी बीच सीमा को लेकर आए दिन आपस में विवाद होता रहता हैं। प्रार्थीगण की आराजी एवं पडौसी आराजीयात के बीच सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है जिस कारण प्रार्थीगण अपने आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जांकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की पत्थरगढी का आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात भूमि हेतु पत्थरगढी का आदेश फरमावे। जिस पर विपक्षी ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा सलूम्बर पटवार हल्का सलूम्बर की हाल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 372 आराजी नम्बर 882 कुल किता 01 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 276 आराजी नम्बर 843, 851, 852, 873, 874, 880, 881, 883, 884, 885 कुल किता 10 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार होकर राजस्व जमाबंदी मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी श्री जगदीश व अन्य
विपक्षी सरकार
प्रकरण संख्या 41 / 2025
कस्म मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम

कार्यवाही विवरण

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सलूम्बर पटवार हल्का सलूम्बर की हाल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 372 आराजी नम्बर 882 कुल किता 01 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 276 आराजी नम्बर 843, 851, 852, 873, 874, 880, 881, 883, 884, 885 कुल किता 10 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर ख़डडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलूम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय दिनांक 23/06/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर